269

-1-

समक्ष माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. R-1741-I/13

CANC

अपीलार्थी : चंद्रपाल सिंह पिता स्वरूप सिंह
उम्र लगभग 40 साल निवासी ग्राम सिरस
तहसील चौरई जिला–छिन्दवाड़ा

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ... रीडर
24 APR 2013
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

वि रू द्ध

प्रत्यर्थी : मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर छिंदवाड़ा

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44 (2) भू–राजस्व संहिता 1959

234

अपीलार्थी माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रं. 740–अ–74/11–12 में पारित आदेश दिनांक 28–08–2012 से परिवेदित होकर यह अपील निम्नांकित तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है :–

1.5.13

तथ्य –

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ग्राम सिरस प.ह.नं. 38 तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा की भूमि खसरा नंबर 98/15 रकवा 0.751 हे. भूमि का भूमिस्वामी है । अपीलार्थी ने स्वयं के स्वामित्व की उक्त भूमि को शासकीय भूमि खसरा नंबर 177/13 रकवा 0.706 हे. से बदलने हेतु आवेदन कलेक्टर छिन्दवाड़ा को भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 167 के अधीन पेश किया था । कलेक्टर छिन्दवाड़ा द्वारा उक्त आवेदन तहसीलदार चौरई की ओर भेजकर जांच प्रतिवेदन चाहा गया । तहसीलदार ने विधिवत इश्तहार साया कर आपत्तियां आमंत्रित की गई । ग्राम पंचायत ने भी अपनी अनापत्ति पेश की । तहसीलदार ने स्वयं स्थल निरीक्षण किया तथा उक्त अदला–बदली में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति न होना अंकित करते हुये अपना प्रतिवेदन दिया । विचारण न्यायालय ने पुनः भूमि की नोईयत के बारे में अधीक्षक भू–अभिलेख से जांच करायी जांच में उक्त भूमि खलिहान के लिये सुरक्षित पाई गई ।

—2

XXXI(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 1741–एक / 13 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.1.17	प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 740/अ–74/11–12 में पारित आदेश दिनांक 28–8–2012 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है । आलोच्य आदेश द्वारा विद्वान अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को प्रारंभिक स्तर पर अग्राह्य किया गया है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्कों एवं निगरानी मेमो में दिए गए आधारों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया । यह प्रकरण आवेदक के स्वामित्व की निजी भूमि को शासकीय भूमि से अदला–बदली के संबंध में है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है आवेदक द्वारा अदला–बदली में चाही जा रही शासकीय भूमि निस्तार पत्रक में खलिहान हेतु सुरक्षित है । संहिता की धारा 237 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत निस्तार प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई भूमि किसी भी व्यक्ति को कृषिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित या आवंटित नहीं की जायेगी । विधि के इस प्रावधान के प्रकाश में अपर आयुक्त ने आवेदक की भूमि की अदला–बदली शासकीय भूमि से नहीं किये जाने संबंधी जो निष्कर्ष निकाला है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत है और प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह अपील निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	